बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
<u>अधिसूचना</u>

पटना, दिनांक–14/08/26

सख्या:–1/स्था0 (21) 50/2026–4424/विभागीय अधिसूचना संख्या–3735–सह–पठित ज्ञापांक–3736, दिनांक–17.07.2026 के द्वारा बाढ़ प्रभावित अवधि के लिए डॉ0 धनंजय कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, टंडवा, औरंगाबाद को जिला पशुपालन कार्यालय, प0 चम्पारण, बेतिया में प्रतिनियुक्त किया गया।

उक्त के आलोक में डॉ0 कुमार द्वारा दिनांक–03.08.2026 को जिला पशुपालन कार्यालय, प0 चम्पारण, बेतिया में योगदान समर्पित किया गया। जिला पशुपालन पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया के पत्रांक–1680, दिनांक–11.08.2026 द्वारा विभाग को सूचित किया गया कि उनके द्वारा प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, गौनाहा, प0 चम्पारण का अपराह्न 01:00 बजे औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में कार्यालय परिचारी उपस्थित थें, लेकिन डॉ0 धनंजय कुमार, प्रतिनियुक्त प्रभारी भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गौनाहा, प0 चम्पारण दिनांक–04.08.2026 से ही बिना किसी अनुमति के स्वेच्छाचारी रूप में अनुपस्थित पाये गये हैं। जिला पशुपालन कार्यालय में दिनांक–03.08.2026 को योगदान के उपरांत बिना किसी अभ्यावेदन एवं सूचना के डॉ0 कुमार अनुपस्थित चल रहे हैं।

उक्त के आलोक में जिला पशुपालन पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि बाढ़ जैसे आपदा संबंधी कर्त्तव्यों के निर्वहन में डॉ0 कुमार के द्वारा विभागीय आदेशों की अवहेलना की गयी है, जो उनके स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है। डॉ0 कुमार का उक्त आचरण आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा–51 एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1) में वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल है।

उक्त के आलोक में डॉ0 धनंजय कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, टंडवा, औरंगाबाद प्रतिनियुक्त जिला पशुपालन कार्यालय, प0 चम्पारण, बेतिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 (1) (क) में वर्णित प्रावधान के तहत डॉ0 धनंजय कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, टंडवा, औरंगाबाद प्रतिनियुक्त जिला पशुपालन कार्यालय, प0 चम्पारण, बेतिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

1. निलंबन अवधि में डॉ0 कुमार को सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा।
2. निलंबन अवधि में डॉ0 कुमार का मुख्यालय ***क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, कोसी क्षेत्र, सहरसा*** निर्धारित किया जाता है।
3. डॉ0 कुमार के विरूद्ध उक्त आरोप के लिए अलग से विभागीय कार्यवाही संचालित की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(नीरज कुमार देवनाथ)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–1/स्था0 (21) 50/2026– ..../　　　　　　　　**पटना–15, दिनांक–.............**

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–1/स्था0 (21) 50/2026– ..../　　　　　　　　**पटना–15, दिनांक–.............**

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/प0 चम्पारण/सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–1/स्था0 (21) 50/2026– 4425/　　　　　　　　**पटना–15, दिनांक–14/08/26**

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, कोसी क्षेत्र, सहरसा/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्र, मुजफ्फरपुर/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, मगध क्षेत्र, गयाजी/जिला पशुपालन पदाधिकारी, औरंगाबाद/प0 चम्पारण, बेतिया/डॉ0 धनंजय कुमार, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, टंडवा, औरंगाबाद प्रतिनियुक्त जिला पशुपालन कार्यालय, प0 चम्पारण, बेतिया सम्प्रति निलंबित ***निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, कोसी क्षेत्र, सहरसा/***प्रशाखा पदाधिकारी–05/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.8.26

सरकार के अवर सचिव।